न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी ***श्री महेन्द्र सोनी***

आई.ए.एस

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
बाबुसिंह पुत्र जेरूपजी जाति राजपुरोहित निवासी शंखवाली तहसील आहोर जिला जालोर		उपखंड अधिकारी आहोर जिला जलोर

प्रकरण संख्या *15/2019*

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 235 रास्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-

1-श्री अशोक कुमार माली ,अभिभाषक प्रार्थी

2-श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक

-:निर्णय:-

दिनांक:-19.09.2019

प्रार्थीगण के अभिभाषक ने यह प्रार्थना पत्र सहायक कलेक्टर आहोर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वाद संख्या 26/2019 अन्तर्गत अनवान लालसिंह वगैराह बनाम देवीसिंह वगैराह को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचित किया गया।अप्रार्थी की ओर से उनके वकील ने उपस्थित होकर पैरवी की व जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व मेरे जायन्दा भाई लालसिंह व धनराज ने सहायक कलेक्टर आहोर के समक्ष बंटवाडा व स्थाई निषेद्याज्ञा का दावा पेश किया है।उक्त दावे के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था।अप्रार्थी देवीसिंह व भीखसिंह संयुक्त आराजी में कजावे का निर्माण कर रहे थे। जिसे रोकने हेतु प्रार्थी लालसिंह वगैरा ने निवेदन किया था,परन्तु सहायक कलेक्टर आहोर ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया, जिसकी अपील प्रार्थी ने राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली कैम्प जालोर के समक्ष पेश की थी।जिसमें राजस्व अपील अधिकारी द्वारा मूल वाद संख्या 26/2019 मे वर्णित आराजी में यथास्थिति बाबत आदेश पारित किये है तथा उक्त आदेश की पालना नही हो रही है।सहायक कलेक्टर आहोर को आदेश की पालना हेतु मुझ प्रार्थी द्वारा कहने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा मुझे कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया जा रहा है, अप्रार्थीगण राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है, इस कारण सहायक कलेक्टर महोदय आहोर भी राजनैतिक दबाब के चलते मुकदमें में आदेश की पालना नही करवा रहे है तथा मेरे द्वारा बार बार आग्रह करने पर कहते है कि आप बार बार यहां क्यो आ रहे हो, इस तरह बार बार आये तो में आपके वाद को खारिज कर दूगां। उपखंड अधिकारी आहोर के इस तरह के रवैये से प्रार्थी परेशान है तथा उनके द्वारा स्पष्ट रूप से प्रार्थी को यह कहना कि मै तुम्हारे वाद को खारिज कर दूंगा। उपखंड अधिकारी आहोर के अप्रार्थीगण देवीसिंह वगैरा के दबाव में होना प्रतीत होता है। जिससे मुझ प्रार्थी को सहायक कलेक्टर आहोर से उक्त वाद में न्याय प्राप्त होने की कोई उम्मीद नही है।अत:प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र

पेशकर निवेदन है कि सहायक कलेक्टर आहोर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या 26/2019 अनवान लालसिंह वगैरा बनाम देवीसिंह वगैरा को अन्य सक्षम अधिकारी के पास स्थानान्तरण करवाने का आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी बाबुसिंह पुत्र जयरूपजी पुरोहित साकिन शखवाली द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध शिकायत पत्र पेश कर न्याय मिलने की उम्मीद नही होते हुए मुकदमा स्थानान्तरण करवाने एवं यथास्थिति के आदेश की पालना नही करवाने का आरोप लगाया है जो निराधार है।प्रार्थी लालसिंह, बाबुसिंह, धनराज पुत्र जयरूपजी द्वारा देवीसिंह पुत्र शिवनाथसिंह वगैरा के विरूद्ध एक वाद धारा 53,188 पेश किया गया जो दिनांक 27.05.2019 को दर्ज कर प्रतिवादीगणो को सुनवाई हेतु तलब किया गया जो तलबी में जेरकार है एवं बिना सुनवाई पूर्ण किये वाद प्रथम दृष्टया खारिज नही किया है।इसी प्रकार इसी दावे के साथ धारा 212 का एक प्रार्थना पत्र लगाकर निषेद्याज्ञा प्राप्त करने की इस्तदुआ की है जिस पर प्रकरण संख्या 14/2019 दर्ज कर अगली सुनवाई दिनांक 11.06.2019 को बाद सुनवाई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर एकतरफा स्थगन आदेश पारित नही किया गया।उसी के विरूद्ध प्रार्थी माननीय राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय में अपील करते हुए राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति के आदेश की प्रति एवं एक केवीयट प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर अग्रिम सुनवाई हेतु प्रकरण जेरकार है।इस दरमियान प्रार्थी द्वारा आरोप लगाकर दावे को खारिज करने का मुझ पर आरोप लगाया है जो बेबुनीयाद एवं आधारहीन है।प्रार्थी द्वारा वर्णित प्रकरण में प्रतिवादीगणो के राजनैतिक दबाव में आकर मुझ पर सही न्याय नही करने का आरोप लगाया है जो बेबुनीयाद है एवं आधारहीन मनगढन्त है।अत:मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध जो आरोप लगाये गये है जिसे मुक्त फरमावे। आया माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की पालना प्रतिवादी पक्ष नही कर रहे है तो प्रार्थी स्वंय कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वाद सक्षम न्यायालय में लगाने हेतु स्वतंत्र है।इस प्रकार मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध मनगढन्त बेबुनीयाद आरोप लगाये है जो निराधार है।

बहस उभय पक्ष की सुनी गई।प्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को विस्तृत रूप से दोराहते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा सहायक कलेक्टर आहोर के न्यायालय में दावा बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेद्याज्ञा का वाद पेश किया गया है इसी के साथ अस्थाई निषेद्याज्ञा हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र भी पेश किया हुआ है।जो अभी तक विचाराधीन है।सहायक कलेक्टर आहोर द्वारा अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नही करने पर प्रार्थी द्वारा राजस्व अपील अधिकारी पाली के न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर आदेश की प्रति सहायक कलेक्टर आहोर को पेश करने के बाबजूद भी स्थगन आदेश की पालना हेतु प्रतिवादीगणो को पाबंन्द नही किया गया है।स्थगन आदेश की अवहेलना होने पर प्रार्थी द्वारा सहायक कलेक्टर आहोर को मौखिक रूप से निवेदन किया गया तो प्रार्थी को कहां गया,कि जिस न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया है उसी न्यायालय में स्थगन आदेश की अवहेलना होने की बजह से अवमानना प्रार्थना पत्र पेश करे।प्रतिवादी पक्ष राजनैतिक पहुच वाले व्यक्ति होने से सहायक कलेक्टर पर दबाव बनाये हुये है।जिसके कारण प्रार्थी को सहायक कलेक्टर आहोर के न्यायालय से सही न्याय मिलने की कोई उम्मीद नही है।अत:प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये दोनो प्रकरणो को जिले के अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानातरित करावे। जिस पर उपस्थित सरकारी

वकील ने तर्क दिया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनो ही प्रकरण तलबी में जैरकार होने से निर्णय होने की स्टेज पर नही है।प्रार्थी द्वारा केवल मात्र सन्देह के आधार पर यह प्रार्थना पर प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से खारिज फरमावे।

हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अध्ययन किया एवं बहस के बिन्दुओ पर मनन भी किया। जिसके अनुसार प्रार्थी बाबुसिंह द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2019 अनवान लालसिंह वगैरा बनाम देवीसिंह वगैरा को अन्य सक्षम अधिकारी के पास स्थानातरण करवाने हेतु दिनांक 03.07.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दर्ज किया जाकर सहायक कलेक्टर आहोर से जबाव तलब कर शामिल मिसल किया गया।प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार वाद संख्या 26/2019 लालसिंह, बाबुसिंह,धनराज पुत्र श्री जैरूपजी द्वारा सहायक कलेक्टर आहोर के न्यायलय में दिनांक 25.05.2019 को दायर करवाया गया है।जबाब प्रार्थना पत्र के सलग्न प्रस्तुत आदेशिका अनुसार उक्त वाद प्रतिवादी पक्ष की तलबी में जैरकार है।इसी वाद को केवल मात्र बाबूसिंह ही अन्य किसी न्यायालय में स्थानातरित करवाना चाहा रहा है।जबकि इस वाद में बाबुसिंह के अलावा अन्य दो व्यक्ति और भी संयोजित है जिनके द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नही किये हुये है। तथा नही उपस्थित होकर कोई आपत्ति दर्ज करवाई है।जहां तक स्थगन आदेश की पालना नही होने का प्रश्न है।इस संबंध में आदेश की अवहेलना होने की स्थिति में जिस न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया हुआ है।उसी न्यायालय में पक्षकार द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त रहता है।वाद संख्या 26/2019 की आदेशिका अनुसार प्रकरण तलबी में विचाराधीन है।जिस पीठासीन अधिकारी पर राजनैतिक दबाव बनाये जाने का आक्षेप लगाया गया है।वे अवकाश पर होने से अन्य पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकरण की सुनवाई की जा रही है।प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।जिससे यह सिद्ध हो सके की पीठासीन अधिकारी दबाव में आकर नियमो के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित कर सके।वाद में वर्णित तीनो पक्षकारो द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर प्रार्थी स्वंय अकेले द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को अन्यत्र स्थानातरण करवाने की इस्तदुआ की गई है।इस प्रकार मनगढंत तथ्यो के आधार पर संदेह की दृष्टि से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर नियमानुसार की जा रही न्यायिक कार्यवाही को बाधित करके प्रकरण अन्यत्र किसी न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने योग्य नही है।

अत:उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम हो।

Sd/-
(महेन्द्रसोनी)
जिला कलेक्ट, जालोर

निर्णय आज दिनांक 19.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/-
(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर, जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Soni
Date: 2019.12.03 17:06:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: